उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-8/2024/270/78-01099-75-2021
लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी, 2024

शुद्धि-पत्र

आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-05/2024/45/002-78-01099-75-2021, दिनांक 07-02-2024 द्वारा लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202,इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख, बयालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश विषय तथा प्रस्तर-1 में लिपिकीय त्रुटिवश ''रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख, बयालिस हजार मात्र)'' के स्थान पर ''रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख, बयालिस लाख मात्र)'' अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 07-02-2024 में टंकित ''रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख, बयालिस लाख मात्र)'' के स्थान पर ''रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख, बयालिस हजार मात्र)'' पढ़ा जाए।

तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 07-02-2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

रवि रंजन
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उद्योग निदेशक, कानपुर, उ0प्र0।
2. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ।
11. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12. अनु सचिव/नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।